कार्यालय आदर्श नगर पंचायत रामपुर कारखाना, देवरिया

पत्रांक /नि0/को0 सूचना 2010–11 दिनांक जनवरी 2011

अल्पकालिक निविदा /कोटेशन सूचना

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा 13 वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रामपुर कारखाना में निर्माण कार्य व विभिन्न सामग्री की आपूर्ति हेतु नगर पालिका परिशद/लो0नि0वि0/आर0ई0एस0/जिला पंचायत तथा पंजीकृत फर्मो से वर्श 2010–11 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत ठेकेदारों से दिनांक 04–02–2011 को 14.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा/कोटेशन आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष 15.00 बजे नगर पंचायत कार्यालय पर खोली जायेगी। निविदा/कोटेशन प्रपत्र जिलाधिकारी कार्यालय के एल0बी0सी पटल पर/नगर पंचायत कार्यालय रामपुर कारखाना से निर्धारित भुल्क जमा कर दिनांक 02–02–2011 को समय 11.00 बजे से 16.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा/कोटेशन के साथ अग्रिम जमानत के रूप में 02 प्रतिशत धनराशि एन.एस.सी./के.वी.पी./एफ.डी.आर. आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पद नाम से बन्धक हो, संलग्न कर उसका निविदा/कोटेशन प्रपत्र पर उल्लेख करना अनिवार्य है। कार्य स्वीकृत होने पर अवशेश 08 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। अन्य नियम व भार्तें तथा कार्य की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत कार्यालय से की जा सकती है। इस विज्ञापन को वेबसाईट **W.W.W. deoria. nic. In.** पर भी देखा जा सकता है।

1– **सड़क सुधार**

क्रम सं0	निर्माण कार्य का नाम	आगरण की धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
1	इन्टरलांकिंग रोड से मंगरी के घर होते हुये पूरब नागू के घर तथा उत्तर गोविन्द के घर तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	105707=00	2114=00	150=00	एक माह

क्रम सं0	सामग्री आपूर्ति का विवरण	आगरण की धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
2	**ठोस अपशिश्ट प्रबन्धन** हाईड्रोलिकट्राली, चूना, मैलाथियान पाउडर, बी टेक्स फेन्डोना, झाडू , कुदाल ,वेल्चा	2,11,414=00	4228=00		एक माह
3	**जलापूर्ति व्यवस्था** इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प, वासर, वैयरिंग, धूर्रा, साफ्ट, चैन, वासर पैकिंग।	42,383=00	448=00		एक माह
4	**मार्ग प्रकाश** साधारण वल्ब 100वाट,200वाट, केबल 4 व 10 एम.एम., पी.बी.सी. तार 1.5 एम.एम.	21,141=00	229=00		15 दिन
5	**अन्य नागरीक सुविधायें** बिजली व्यवस्था हाईमास्ट स्टार्टर व कन्डेन्सर, सी. एफ.एल. 65 वाट	33,826=00	677=00		15 दिन
6	**कम्प्यूटराइजेशन** कम्प्यूटर स्टेशनरी कागज ए4, लिगज पेपर, काटेज रिफिलिंग	8,456=00	170=00		15 दिन

<u>शर्त एवं नियमः–</u>

1– निविदा दाता को जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि निविदा/कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसमें किसान विकास पत्र, एन0एस0सी0, एफ0डी0आर0 अथवा नकद अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पदनाम से प्लेज हो, जमा करना होगा। जिसमें निविदा/कोटेशन के साथ 02 प्रतिशत तथा निविदा/कोटेशन स्वीकृत होने पर 08 प्रतिशत जमानत की धनराशि जमा करना होगा

2– एक या समस्त निविदाओं/कोटेशनों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।

3– निविदादाता/कोटेशन दाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त चरित्र, हैसियत प्रमाण पमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– निविदा/कोटेशन स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य सम्बन्ध में स्टाम्प ऐक्ट के अनुसार अपने व्यय से कोशागार से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/एकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।

5– ठेकेदार को निर्माण कार्य/आपूर्ति नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। अन्यथा 100–00 रूपये प्रति हजार प्रति दिन की दर से ठेकेदार को विलम्ब भुल्क देना होगा। अर्थात ठेकेदार के बिल से उक्त विलम्ब भुल्क/जुर्माना की धनराशि काट ली जायेगी।

6– 100–00 (एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर भापथ पत्र तैयार कर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपना पासपोर्ट साईज का फोटो प्रमाणित करा कर निविदा/कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

7– निविदा/कोटेशन के समय विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर कारखाना का ही निर्णय मान्य होगा।

8– किसी भी फर्म/निविदादाता/कोटेशनदाता द्वारा या उसके सहयोगी द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान डालने जैसे अभ्रदत्ता, दुव्यवहार आदि करने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को काली सूची में करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में अंकित कराया जायेगा।

9– ठकेदार/फर्म को आगणन के अनुसार कार्य करना होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

10– किसी भी प्रकार का (कार्य स्थल) विवाद उत्पन होने पर जिला प्रशासन/नगर पंचायत द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।

11– ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर समस्त औपचारिकताओं को पूरा करते हुये कार्य/आपूर्ति करना होगा। अन्यथा ठेका निरस्त करते हुये जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

12 जमानत ंकी धनराशि छः माह के पश्चात यदि कार्य सन्तोश जनक पाया गया तो वापस कर दी जायेगी।

13– निविदादाता को अपने निविद/कोटेशन में स्पश्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी। मदवार अलग अलग निविदा/कोटेशन में दरे मान्य होगी।

14– उपरोक्त निर्माण कार्य/आपूर्ति को मदवार अलग–अलग कोटेशन/निविदा मान्य होगी।

15– कार्य/आपूर्त में घट बढ़ होने पर अलग से कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।

16– भोश जानकारी किसी भी दिन कार्य दिवस मे कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

17– निविदा/कोटेशन सूचना देवरिया की वेबसाईट **www.deoia.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया।	अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया।

पत्रांक /दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेशित।

1– जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।

2– प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया को कार्यो की सूची एवं सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञापन को **W.W.W. Deoria. NIC In.** पर प्रकाशनार्थ।

3– उप जिलाधिकारी सदर, देवरिया।

4– तहसीलदार सदर, देवरिया।

5– खण्ड विकास अधिकारी रामपुर कारखाना, देवरिया।

6– अध्यक्ष जिला पंचायत, देवरिया।

7– मा0 समस्त अध्यक्ष गण नगर पालिका परिशद/नगर पंचायतें जनपद देवरिया।

8 अवर अभियन्ता नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया।

9– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

10– सम्पादक स्वतंत्र चेतना गोरखपुर, को इस आशय से प्रेशित की अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेशित।

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया।	अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया।